



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र 1935 (श0)
(सं0 पटना 713) पटना, बुधवार, 11 सितम्बर 2013

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना

10 सितम्बर 2013

सं0 5-पुरा./सु0-1-01/11-35—“बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कला, निधि अधिनियम, 1976” की धारा- 3 की उप-धारा (01) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, संलग्न राजस्व विवरणी में अंकित भागलपुर जिला के नगर पालिका, भागलपुर, वार्ड संख्या-3, अंचल/प्रखंड जगदीशपुर में स्थित सैयद इब्राहिम हुसैन खॉ, (फतहगंज) के मकबरा को प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष को सुरक्षित घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं।

इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 02 (दो) माह के अन्दर सम्बन्धित प्राचीन स्मारक/स्थल/अवशेष के क्षेत्र के अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर के पास पेश किया जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार मल्लिक,
सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जानेवाले प्राचीन पुरातात्विक स्थल/अवशेष/की राजस्व विवरणी

क्र.	पुरास्थल स्मारक का नाम	अवशेष	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	चौहद्दी	जमीन की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सैयद इब्राहिम हुसैन खाँ (फतहगंज) का मकबरा	स्मारक एवं परिसर	665	44 ख	0.1330 हे०		पक्का मकबरा
			665	ग	0.0050 हे०		सीढ़ी
			665	44 क	0.0080 हे०		सहन
			665	45	0.2725 हे०		परती
				कुल	0.4185 हे०		

ग्राम	मौजा	प्रखंड	थाना	थाना नं०	जिला	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14	15
खंजरपुर	मायागंज, खंजरपुर	जगदीशपुर	बरारी	वार्ड संख्या-03	भागलपुर	—

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार मल्लिक,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 713-571+500-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>